500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

यह बिक्रय- पत्र आज दिनांक 12 माह अप्रेल सन 2002 ई० को इस प्रकार सम्पन्न होता है :--

1· विक्रेता का नाम और पता :- श्री मदन सिंह पिता श्री रामगणेश सिंह जाति राजपुत, पेशा व्यापार, निवास स्थान ग्राम चुटिया, थाना चुटिया, जिला राँची §झारखण्ड । §भारतीय नागरिक । ··· ·· " प्रथम पक्ष " ।

2· क्रेता का नाम और पूरा पता :- §खरीदार § श्रीमती गीता देवी पत्नी स्वर्गीय सीताराम सिंह जाति हिन्दू, पेशा गृहिणी, निवास स्थान इम्पालयमेंट नामकुम, थाना नामकुम, जिला राँची, §झारखण्ड । §भारतीय नागरिक § " अन्य पक्ष " ।

" विक्रेता और खरीदार" संबोधनों में जब तक विषय के प्रतिकूल अथवा संदर्भ में अनपेक्षित न हो उनके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित भी सम्मिलित माने जायेंगे " ।

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.   Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये   FIVE HUNDRED RUPEES

3· लेख्य प्रकार :- पूर्ण बिक्रय पत्र, हमेशा के लिये ।

4· प्रतिफल राशि :- 6,500/- (छः हजार पाँच सौ) रूपये मात्र ।

5· सम्पति का विवरण :-खराजी रकबा 05 (पाँच) डिसमील जमीन स्वत्व कायमी रैयती, खरीदगी, दखली स्थित ग्राम लोधमा, राजस्व थाना राँची, थाना नं0 302, हाल थाना नामकुम, जिला राँची, अंदर अधिकारिता कलक्टर राँची तथा जिला अवर निबंधक राँची के है ।

यथा विवरण निम्नोक्त

खाता नं0	सर्वे प्लॉट नं0	मधे सब प्लॉट नं0	र क बा
58 -	787 -	मधे " 787/9 -	05 डिसमील

खाता नम्बर अंठावन, सर्वे प्लॉट नंबर सात सौ सत्तासी, मधे सब प्लॉट नं0 787/9, रकबा पाँच डिसमील जमीन बिक्री होता है ।

जमीन की लम्बाई चौडाई इस प्रकार है :-

उत्तर तरफ :- पुरब से पश्चिम - 50 फीट 00 ईंच ।
दक्षिण तरफ :- पुरब से पश्चिम - 50 फीट 00 ईंच ।
पुरब तरफ :- उत्तर से दक्षिण - 43 फीट 03 ईंच ।
पश्चिम तरफ :- उत्तर से दक्षिण :- 43 फीट03 ईंच ।

जो संलग्न मानचित्र में बिक्री जमीन सब प्लॉट नं0 787/9 को स्पष्ट रूप से लाल रंग से रंगकरदर्शाया गया है , जो इस बिक्रय पत्र का अभिन्न अंग है ।

—3

1Re

एक रुपया ONE RUPEE INDIA सत्यमेव जयते भारत

-: 3 :-

चौहद्दी :-

उत्तर :- सब प्लॉट नं0 787 /10
दक्षिण :- सब प्लॉट नं0- 787/8
पुरब :- परती जमीन ।
पश्चिम :- 15 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता ।

जिसका वार्षिक लगान 0·50 पैसे अलावे शेष जो झारखण्ड सरकार के अंचल कार्यालय खिजरी (नामकुम) राँची को देय ।

-: संदर्भ :-

यह कि उपरोक्त खाता नं0 58, सर्वे प्लॉट नं0 787, रकबा 01 एकड़ 83 डी0 एवं सर्वे प्लॉट नं0 792, रकबा 24 डी0, स्थित ग्राम लोधमा, थाना राँची, थाना नं0 302, जिला राँची जो 1932-33 ई0 में रिभिजनल सर्वे खतियान में सोहना लोहार पिताभुखा लोहार वो माड़ू लोहार पिता नथु लोहार के नाम से दर्ज है ।

और यह कि उपरोक्त खतियानी रैयत के स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त जमीन का बंटवारा उनके वंशजगण के बीच हो गया ।

और यह कि उपरोक्त भूमि दिनांक- 13·06·2001 ई0 को श्री नागेश्वर लोहार पिता स्व0 लेदु लोहार ने अपने हिस्से की जमीन 01 एकड़ 3½ डी0 जमीन को तीन निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा विक्रेता (मदन सिंह के हाथ) बिक्री कर दिये, जिसका विक्रय पत्र संख्या क्रमशः 6649, 6650 एवं 6651 है, जिसे दिनांक- 13·06·2001 ई0 को जिला निबंधन कार्यालय राँची में निबंधित किया गया है तथा तारीख खरीदगी से हीं जमीन पर शांतिपूर्ण रूप से -

मदन सिंह
12/7/2002

--4

1R९

एक रुपया ONE RUPEE भारत सत्यमेव जयते INDIA

काबिज और दखलकार चले आ रहे हैं तथा अंचल कार्यालय खिजरी {नामकुम} राँची में दाखिल खारीज करा लिये हैं, जिसका दाखिल खारीज केश नंबर 506 आर॰ 27 सन 2001-2002 ई0 है, जिसका आदेश तिथि 12.09.2001 ई0 है तथा प्रति वर्ष लगान देकर रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं ।

इस तरह उपरोक्त जमीन पर बिक्रेता का पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण में है तथा हस्तान्तरणीय योग्य है ।

और यह कि बिक्रेता को अपना पारिवारिक आवश्यकताओं एवं अन्य जरूरी सही कार्यों के लिये स्तंभ-5 में वर्णित भूमि जिसे बिक्री करने की अनिवार्यता है जिसका उचितमूल्य 6,500/- छ: हजार पाँच सौ रूपैया मात्र खरीदार से तय कर और लेकर रकबा पाँच डिसमील जमीन बिक्री करने के लिये तैयार हुये एवं खरीदार भी उचित मूल्य 6,500/- छ: हजार पाँच सौ रूपैया मात्र में उक्त जमीन को खरीदने के लिये तत्पर हुये ।

अत: अपना तन मन का स्वस्थ्य अवस्था में रहकर अपनी स्वेच्छा से बिना किसी अन्य के दबाव, बहकाव, धमकाव या प्रलोभन के 6,500/- छ: हजार पाँच सौ रूपैया मात्र प्रतिफल के बदले हर प्रकार के ऋण भार और बंधनों से मुक्त खरीदार के हाथ बेचा, हस्तान्तरित किया एवं सुपूर्द किया - तथा प्रतिफल की कुल राशि 6,500/- छ: हजार पाँच सौ रूपैया मात्र बिक्रेता ने खरीदार से रजिस्ट्री के समय वसूल पाये जिसकी प्राप्ति इस बिक्रय पत्र द्वारा स्वीकार तथा अंगीकार की जाती है और अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा ।

--5

(हस्ताक्षर) 12/7/2002

इस तरह अब आज तारीख से बिक्री जमीन पर बिक्रेता या इनके उत्तराधिकारी या सगे संबंधी का किसी तरह का हक, दावा, स्वत्व नहीं रहा और न भविष्य में कभी होगा । अब आज तारीख से ही उक्त जमीन का मालिक और अधिकारी खरीदार या इनके उत्तराधिकारी हैं और भविष्य में भी होंगें । खरीदार अपनी इच्छानुसार मालिक और अधिकारी के रूप में - रहकर भोग- उपभोग करें या जैसा चाहें उसे उसी रूप में करें या जरूरत पड़े - तो बिक्री, बंधक, दान या जिस तरह का हस्तान्तरण करना चाहें करें । इसमें बिक्रेता या इनके उत्तराधिकारी को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी ।

बिक्रेता यह भी घोषित करते हैं कि बिक्री जमीन सब तरह से शुद्ध स्वच्छ और निर्मल है तथा हर प्रकार के ऋण भार और बंधनों से मुक्त है और अगर इसमें किसी तरह का कोई नुक्स निकले या ठहरे तो उसका पूर्ण का जबाव देह और हर्जाना सहित कुल रूपये का देनदार बिक्रेता या इनके उत्तराधिकारी हैं होंगें और देंगें ।

इस तरह अब खरीदार को पूर्ण अधिकार है कि अंचल कार्यालय खिजरी अंचल नामकुम राँची में अपना नाम दाखिल खारिज करा लेंगें तथा प्रतिवर्ष लगान देकर रसीद प्राप्त करेंगें ।

बिक्रेता पूर्ण बिक्रय पत्र को पढ़कर समझ बुझ लिये हैं तथा ठीक पाकर अपना हस्ताक्षर करके जिला निबंधन कार्यालय राँची में निबंधित कर देते हैं कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

--6

1Rs

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन खतियान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं है और ना हीं सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यों के लिये किया गया है ना हीं भूदान की जमीन है यह वन सीमा से बाहर है तथा बी0 सी0 सी0 एल0 या ई0 सी0 एल0 की भी जमीन नहीं है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भूमि आदिवासी खाते की नहीं है और ना हीं आदिवासी से संबंधित है, जमीन सिलींग से मुक्त है, जमीन मठ, मंदिर गिरजा या मस्जिद की नहीं है ।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज एवं द्वितीय प्रति एक दूसरे का हू- बहू एवं सच्ची प्रतिलिपि है ।

--7

13/11/2002

1Rs

-: 7 :-

आज दिनांक माह-अप्रैल सन् 2002 ई० मुकाम, राँची ।

गवाह का हस्ताक्षर

विक्रेता का हस्ताक्षर

महा सिंह
12/4/2002

1· Ratnesh Kumar
12/4/2002

2· महावीर सिंह
12·4·02

ड्राप्टकर्ता
नयन कुमार सिन्हा
राँची कोर्ट राँची
12/4/02

टंकक:
शंकर कुमार
(शंकर कुमार)

12·4·02

12·4·02

ORIGINAL

VILLAGE-LODHMA
THANA NO 302
THANA & DIST. RANCHI
R.S PLOT NO 787
SUB PLOT NO 787/9
AREA SHOWN
IN RED WASH -

AREA
A - D
0-05

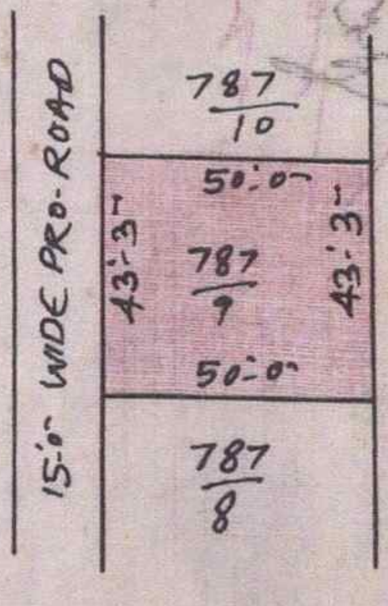

17/11/2002

[illegible]

Certified [illegible]

Spl. - Form No. V 46

CORRECTION SLIP SHOWING MUTATION IN RESPECT OF VEANCIES IN ESTATES IN GOVERNMENT

District [illegible] Sub-Division [illegible] Circle / Anchal [illegible] Halka 11

Name of State [illegible] Tauzi Number

Sl. No.	Mutation column bar in Register 27	Village	Thana and Thana Number	Number tenancy to which the mutation relate	Authority canctioning mutation with date of order	Whether mutation is due to sale gift, exchange sucession or portion	Full details of exchanges effected by mutation	Date of sontraction of the Halka Register by the Karmachari	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1602	[illegible] [illegible]	[illegible] 301	[illegible] 126	[illegible] dt- 4/10/0[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible] 52	[illegible] 41 42	[illegible] 0.50 4.50 0.5[illegible] ([illegible])					

Memo No. Date

Circle Officer/Anchal [illegible]

Forwarded to the Karmchari Halka No. 11 for information and necessary action

Circle Ancha'/Adhikari [illegible]